



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-268/2021 दिनांक 28.09.2021)

दिनांक- 28.09.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(05)

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त 1.रामसिंगार पुत्र रामवृक्ष साकिन रामपुर जंगल, 2.सुनील कुमार पुत्र विहारी साकिन जिन्दा छपरा, 3.वृजनरायण पुत्र मुनेसर साकिन अहिरौली खास, 4.सुरेश पुत्र दीपराज साकिन अहिरौली खास, 5.गौतम पुत्र विष्पी साकिन शिवधर छपरा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर प्रत्येक के कब्जे से 10-10 ली० कुल 50 ली० कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः अन्तर्गत मु०अ०सं०-210/21,211,2021,212/2021,213/2021,214/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-(02)

थाना कप्तानगंज-

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त वसिम पुत्र मुस्तकीम साकिन लेहनी प्रथम थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद नजायज चाकू बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं० 305/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त अभय चरण उर्फ अभई पुत्र श्रीनिवास साकिन फटकदौना थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद नजायज चाकू बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं० 209/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)

थाना जटहां बाजार-

थाना जटहां बाजार पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त संदीप कुशवाहा पुत्र सरवन सा० पुर्नहा मिश्र थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु०अ०सं० 116/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व ३/४ डीपी एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना अहिरौली बाजार-

थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त मुन्ना कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी जंगल धर्मपुर चौरिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु०अ०सं० 321/21 धारा 354(क), 504,506,323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 13 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 114 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु०-20, व्यक्ति-107
- 3.आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही मु०-02, अभि०-02 बरामदगी- 02 अदद चाकू
- 4.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 5.आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु०-05,अभि०-05, बरामदगी- 50 ली० कच्ची।
- 6.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-22)

मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर